25/2/2021

वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर हम कीता दावा रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

किस्म मुकदमा

ता.रजू

मु.न.

09.12.2009

धारा 212 आर.टी.एक्ट

68/2009

ठाकुर जी श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये नैक्सट फ्रेण्ड दर्श नार्थी धनश्याम पुत्र कलुआ जाति माली निवासी करौली जिला करौली –सायल

बनाम

1 यतेन्द्रपाल पुत्र हिम्मतपाल
2 जीतेन्द्रपाल पुत्र हिम्मतपाल
3 मु0 लक्ष्मीदेवी वेवा हिम्मतपाल

} जाति राजपूत निवासी करौली तहसील व जिला करौली प्रबंधकगंण पंच महाजनान मंदिर ठाकुर जी गोविन्द देवजी विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये

4 मोतीलाल पुत्र सांवलियाराम
5 वासुदेव गुप्ता पुत्र केदारलाल
6 राधेश्याम पुत्र मूलचन्द
7 बल्लभ पंसारी पुत्र सूका पंसारी
8 तेजनारायण पुत्र हजारीलाल

} जाति महाजन निवासीयान करौली प्रबंधक (पंचमहाजनान) मंदिर ठाकुर जी गोविन्द देव जी विराजमान अनाज मण्डी करौली

–गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 25.02.2021

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल मंदिर ठाकुरजी श्री गोविन्द देव जी परपीप्यूचल माईनर है और सायल की ओर से सायल के दर्शनार्थी व नेक्सट फैण्ड होने के नाते दावे व प्रार्थना पत्र पेश करने का पूर्ण अधिकार है और सायल के सभी हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है सायल का कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नही है। वाके कस्वा करौली मे सायल के खुद काश्त व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 5315,5430,5431,5332 कुल किता 4 कुल रकवा 6 वीधा 1 विस्वा स्थित है यह जमीने सायल ठाकुकरजी की रियासत काल से पटटे पर दी गयी थी तभी से सायल ठाकुरजी के कब्जे काश्त खातेदारी मे चली आ रही है। तथा सायल द्वारा समय समय पर साल दर साल भेज पर काश्त कराई जाती रही है। जिससे सायल के सेवा पूजा राग भोग का कार्य होता है सायल मंदिर की ओर से गैरसायलान पंचमहाजनान ने एक प्रबन्ध समिति ठाकुरजी की ओर से ठाकुरजी की चल व अचल सम्पति की देख भाल के लिए बना रखी है। गैरसायलान नम्बर 4 ता 8 मंदिर प्रकरण समिति के सदस्य है जिनमे गैरसायलान नम्बर 4 अध्यक्ष है जो बहुत ही चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है और अन्य कई धार्मिक संस्थाओ से अनुचित लाभ लेने की दृस्टीकोण से एक समूह बनाकर आम जनता की धर्मिक अस्था का दुरूपयोग धन कमाने की दृष्टि से सकीय सदस्य प्रबन्धक व अध्यक्ष का पद संभाल लेते है और ठाकुरजी की सम्पति का अनुचित लाभ लेते है सायल की खातेदारी व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 5315 का नामान्तकरण गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 के हक मे करा दिया है और विक्रय कर दिया है और गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 अपने विधि विरूद्व खातेदारी के रहते उक्त आराजी मे आवासीय कोलोनी का निर्माण करने पर उतारू है और आवासीय कोलोनी बनाने के उदेश्य से बलू प्रिन्ट बनवा लिया है और लोगो से आवासीय प्लाट विक्रय हेत बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया है सायल दिनांक 10.11.2009 को जब मंदिर मे दर्शन करने गया तो वहा गैरसायलान क रची गयी साजिश की चर्चा सुनकर गैरसायलान नमब्र 1 ता 3 के पास जाकर जानकारी ली और उनसे कहा कि यह ठाकुरजी की जमीन है आप आवसीय भूखण्ड नही बना सकते तो [illegible] ऐलानिया कहा कि हम इस जमीन मे आवासीय कोलोनी बना कर रहेगे गैरसायलान सायल के खातेदारी को नकारने लगा गये है व ठाकुरजी को कब्जा [illegible] भी इंकार [illegible] दिया है इस लिए सायल गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की आवश्यक है। आराजी खसरा नम्बर 5430,5431,5432 को गैरसायलान नम्बर 4 ता 8 ने पंचमहाजनान वदनीयति सायल की वगैर मर्जी के राजस्व कार्मियो से साज कर ठाकुरजी के खुद काश्त खातेदारी की भूमि का अनुचित लाभ उठाने की गरज से ठाकुरजी के नाम के इन्द्रायो को राजस्व रिकार्ड से हटवा कर पंच महाजन के नाम के इन्द्राज करा लिऐ जब जायल ने इस इन्द्राजो को दुरूस्त कराने की कहा तो गैरसायलान नम्बर 4 ता 8 साफ इन्कार हो गये । गैरसायलान के इस अनाधिकृत कृत्य से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सायल के हकूको पर भारी आधात है। उक्त आराजी मे खडे हरे वृक्षो को काटने पर उतारू हो रहे है और निर्माण कराने के प्रयास मे है ओर दीगर रहन वय करने पर भी आमादा है जिसे सायल के हकको पर भारी आधात है सायल गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है अन्त मे प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

बहस वकील सायल एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का बहस मे कथन है कि वाद ग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 3315,5430,5431,5432 कस्वा करोली सायल मंदिर ठाकुरजी गोविन्द देव जी के खातेदारी व कब्ज काश्त की खुद काश्त भूमि है जिससे प्राप्त आय से मंदिर की सेवा पूजा राग भोग की व्यवस्था होती है। गैरसायल ने खसरा नम्बर 5315 का गैरसायल को नामान्तकरण गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 के नाम करा दिया एवं खसरा नम्बर 5430 ता 5432 की खातेदारी पंच महाजनान के नाम करा ली है और अनाधिकार खातेदारी के आधार पर भूमि मे आवासीय कोलोनी तैयार कर दीगर व्यक्तियो के रहन वय करने पर एवं अनुचित लाभ ठाकुरजी की भूमि से प्राप्त करने पर उतारू हो रहे है जिससे सायल मंदिर ठाकुरजी के हक हकूको सायल भूमि की प्राप्त आय से बंचित हो जावेगा जिससे सेवा पूजा राग भोग से बचित हो जावेगा इस लिए गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जावे।

बहस वकील सायल का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व शपथ पत्र सायल का विवेचन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबंदी सम्बत 2015 मे वाद ग्रसत आराजी सायल मंदिर ठाकुरजी गोविन्द देव जी महाजनान करौली के खातेदारी व खुदकाश्त मे दर्ज है। एवं सम्बत 2064 से 2067 मे पंच महाजन व गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 के खातेदारी मे दर्ज है जिसमे भूमि मंदिर गोविन्द की होने से रेफरेन्स की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया भूमि सायल मंदिर के खातेदारी की होने से सायल के पक्ष मे प्रतीत होता है अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने पर सायल के हक मे ही उचित है ऐसी स्थिति मे सायल गैरसायलान को ताफैसला वाद पत्र भूमि को रहन वय नही करने को पाबंद कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है सायल व गैरसायलान को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। कि वह वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5315,5430 ता 5432 कुल किता 4 कुल रकवा 6 वीधा 1 विस्वा ग्राम कस्वा करौली पटवार हल्का 9 तहसील करौली रहन वय न करे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner